मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 31/2024

सन्दीप कुमार पुत्र भीमसैन, जाति जाट, साकिन कटेहडा, तहसील व जिला फाजिल्का।

––वादी

–:बनाम:–

1. भीमसैन पुत्र नन्दराम, जाति जाट, साकिन गोलूवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. मंजू पुत्री भीमसैन पत्नी कुलदीप कुमार, जाति जाट, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. कैलाश पुत्री भीमसैन पत्नी धर्मपाल, जाति जाट, साकिन केरियावाला, तहसील व जिला फाजिल्का ।
4. बलराम पुत्र भीमसैन, जाति जाट, साकिन कटेहडा, तहसील व जिला फाजिल्का।

19 राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 आर.टी.ए.

निर्णय

दिनांक :– 14/08/2024

वादीगण की ओर से श्री सुनील सहू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 17 एम.ओ.डी. के खाता स. 9/25 के प.न. 29/266 (36) के किला न. 1 ता 4, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 17 ता 23 कुल 5.060 हैक. व चक 18 एमओडी के खाता स.18/44 के प.न.26/267 (49) के किला न.17/1, 24, 25/1, 25/2 व प.न. 27/267 (50) के किला न. 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/4, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 एवं प.न. 28/266(44) के किला न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2, प.न. 29/267 (52) के किला न. 1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 ता 10 इस प्रकार सभी पत्थरो की कुल 14.4460 हैक्ट. तथा इस प्रकार दोनों चको की कुल 19.506 हैक्ट. कमाण्ड, अनकमाण्ड नहरी, नाली मय गैरमुमकिन खाला रास्ता में प्रतिवादी संख्या 1 के [illegible] व हिस्सा कृषि भूमि में **वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 ता 4 का 3 [illegible] हिस्सा बराबर कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। [illegible] प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रखी जाती है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:42:21 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित कि[illegible] जाता है कि उक्त व[illegible] घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:21 IST
Reason: SelfAttested